

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जांच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	दमोह जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिंग्रामपुर-कोडाकला- पौड़ी से माला मार्ग पर तेलनघाटी मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 0.179 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 0.225 हेक्टेयर) महाप्रबंधक, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, दमोह को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 08.04.2021

स्थान: भोपाल


 08/04/2021
 (सुनील अग्रवाल)
 भा.व.से.
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध)
 मध्यप्रदेश भोपाल